जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/07 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | रविवार, 10 जनवरी 2021

किस आँख के अंधे को यह निर्माण आवासीय नजर आ रहा है?

भाग-2

जे.डी.ए. के प्रवर्तन अधिकारी श्री उदयभान की अवैध निर्माणकर्ताओं से मिलीभगत जग जाहिर!!!

दो आवासीय भूखंडों पर बनाये गए प्राईवेट हॉस्पिटल को बता रहे है आवास!!!

जे.डी.ए. ज़ोन-1 में भूखंड संख्या डी-357 और डी-358 मालवीय नगर के आवासीय भूखंडों पर बिना एकीकरण करवाए,बिना नक़्शे पास करवाए ,बना दिया अवैध हॉस्पिटल ब्रेन टावर/ANS Hospital

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जवाब मांगते सवाल?

- आखिर किस आधार पर श्री उदयभान द्वारा यह जवाब दिया गया कि पुराने निर्माण को तोड़कर आवासीय निर्माण किया जा रहा है?
- क्या श्री उदयभान द्वारा इन प्लोटों का मौका निरिक्षण किया था?यदि किया था तो क्या प्रवर्तन अधिकारी श्री उदयभान को आवासीय और व्यवसायिक निर्माण/उपयोग में अंतर नजर नहीं आता?
- यदि माना जाए कि हमारी जानकारी गलत है और श्री उदयभान का जवाब सही है तो क्या गूगल पर ANS HOSPITAL का बताया जा रहा पता भी गलत है?

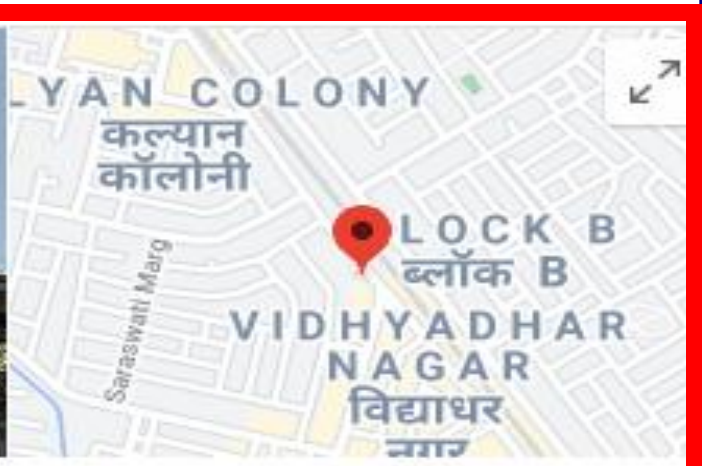

Advanced Neurology & Superspeciality Hospital - Neurologist

Website | Directions | Save

4.3 ★★★★½ 179 Google reviews

Neurologist in Jaipur, Rajasthan

Address: D-357/358, Brain Tower, Gaurav Tower Marg, near Gaurav Tower, D-Block, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan 302017

Hours: Open 24 hours

Phone: 0141 272 4258

- आखिर क्यों श्री उदयभान ने अवैध निर्माण की ज़ोन के JEN और ATP द्वारा दी जाने वाली चिन्हीकरण रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु ज़ोन कार्यालय में पत्रावली नहीं भेजी?
- क्या श्री उदयभान स्वयं यह निर्णय करने में सक्षम है कि उक्त भूखंड आवासीय है या व्यवसायिक?क्या श्री उदयभान के पास कोई टेक्नीकल डिग्री है,जो वह स्वयं प्रमाणित कर देते है कि निर्माण वैध है या अवैध?

		Enforcement Officer - 1			
3	Jaipur Development Authority (J D A), Enforcement Officer, (Enforcement), Enforcement Officer - 1	, , ,	Remarks	01-Jan-2021	पुराने निर्माण को तोड़कर आवासीय निर्माण किया जा रहा है
4	Jaipur Development Authority (J D A), Enforcement Officer, (Enforcement), Enforcement Officer - 1	, , ,	Partially Closed :Relief	01-Jan-2021	पुराने निर्माण को तोड़कर आवासीय निर्माण किया जा रहा है

- क्या श्री उदयभान यह बतायेंगे कि भूखंड संख्या डी-357 और डी-358 मालवीय नगर का विधिवत पुनर्गठन किया गया है?
- जब भूखंडों के पुनर्गठन पर राजस्थान उच्च न्यायालय की रोक है तो फिर किसने और कब किया इस भूखंड का व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन??
- जे.डी.ए. विनियमों के अनुसार किसी भी हॉस्पिटल के निर्माण के लिए जे.डी.ए. से पूर्वानुमति लेनी होती है क्या श्री उदयभान यह बताएँगे कि इस हॉस्पिटल द्वारा जे.डी.ए. से नक़्शे पास करवाकर,निर्माण स्वीकृति ली गयी है या नहीं?
- जब श्री उदयभान ने इस हॉस्पिटल का मौका निरिक्षण किया होगा तो क्या उन्हें नहीं लगा कि इस हॉस्पिटल की अवैध पार्किंग से सडक का यातायात बाधित हो रहा है?
- जब श्री उदयभान ने इस हॉस्पिटल का मौका निरिक्षण किया होगा तो क्या उन्हें नहीं लगा कि नक़्शे पास नहीं करवाने से इस हॉस्पिटल में आग लगने से होने वाले हादसों की सम्भावना बढ़ जाएगी?
- यदि इस हॉस्पिटल में भविष्य में कोई हादसा हो जाता है तो उसके जिम्मेदार गलत जवाब देकर,अवैध निर्माण का पक्ष लेने वाले श्री उदयभान नहीं होंगे?
- क्या जानबूझकर अवैध निर्माण को शह देना नहीं है भ्रष्टाचार?

- क्या जे.डी.ए. के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर प्रसाद सैनी अवैध निर्माणों में जानबूझ कर,टालने के उद्देश्य से,लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी श्री उदयभान के विरुद्ध जे.डी.ए. एक्ट की धारा 72 की उपधारा 14 के तहत कार्यवाही करने की अनुशंसा करेंगे?
- आखिर किस रसूखदार का है यह अवैध हॉस्पिटल जिसके दबाव में ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री उदयभान को मुख्यमंत्री पोर्टल पर झूठ बोलना पड़ा?क्या मुख्यमंत्री पोर्टल को भी गंभीरता से नहीं लेते है?

(14) Whoever, being an employee of the Authority, specifically entrusted with duty to stop or prevent the encroachment or obstruction punishable under this section, wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop or prevent such encroachment or obstruction, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to [one year or with fine which may extend to five thousand rupees] or with both;

Scanned with CamScanner

अवैध निर्माण/अतिक्रमण पर सख्त कार्यवाही

भवन निर्माण उपविधि के प्रावधानों का पालन करें

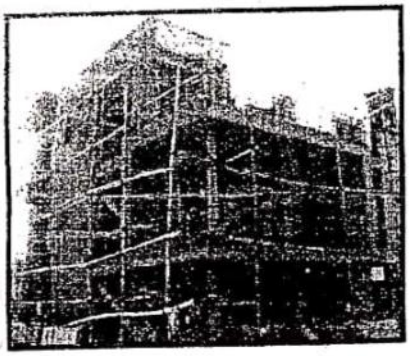

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस.एल.पी. सं. 16668/2008 नगर निगम जयपुर बनाम लेखराज सोनी में दि. 30 अगस्त, 2011 को पारित आदेशों के तहत एम्पावर्ड कमेटी का गठन हुआ एवं निर्देश दिये गये हैं कि माननीय न्यायालय द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी के आदेशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश माना जावे एवं उल्लंघन पर अवमानना की कार्यवाही की जावे।

पूर्व में विभाग द्वारा सार्वजनिक विज्ञापन दिनांक 18.11.11 व 30.11.11 को जारी किया जाकर भवन निर्माण उपविधि एवं मास्टर प्लान के उल्लंघन के सम्बन्ध में दण्डात्मक कार्यवाही करने व उन्हें तोड़े जाने की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया गया था। इसकी निरन्तरता में पुनः सूचित किया जाता है कि :-

- भवन निर्माण हेतु नक्शा स्वीकृत कराया जाकर ही निर्माण/पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार कराया जाये तथा भवन निर्माण उपविधि के प्रावधानों की पूर्णतया पालना की जाये। बिना निर्माण स्वीकृति अथवा जारी स्वीकृति के विरुद्ध में निर्माण किये जाने या मास्टर प्लान में उल्लेखित भू-उपयोग परिवर्तन अथवा सम्बन्धित भूमि के अनुमत भू-उपयोग के विरुद्ध निर्माण किये जाने पर ऐसी सम्पत्तियों को जब्ती अथवा तोड़ने की कार्यवाही सम्बन्धित के खर्चे पर की जायेगी तथा नगर पालिका अधिनियम की धारा 194 के अन्तर्गत सम्बन्धित को दण्डित किये जाने हेतु अभियोजन किया जायेगा।
- राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 245 के अन्तर्गत राजकीय भूमि पर अतिक्रमण दण्डनीय अपराध है। अतिक्रमण किये जाने पर ऐसे अतिक्रमणी का अभियोजन कर दण्डित करने एवं ऐसे निर्माण को निर्माता के खर्चे पर ध्वस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

अवैध निर्माण/अतिक्रमण को रोके जाने में कर्तव्यहीनता एवं मिलीभगत पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी एवं अवैध निर्माणकर्ता तथा अतिक्रमी के विरुद्ध उपरोक्त आदेशों के अन्तर्गत आपराधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

अतः सूचित किया जाता है कि अवैध निर्माण एवं राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जाये। ऐसे प्रकरणों पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी